MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

MP-IDSA
Issue Brief

पाकिस्तान में गहराते राजनीतिक संकट के बीच बढ़ता सांस्थानिक टकराव

आशीष शुक्ल

मई 02, 2023

Summary

पाकिस्तान वर्तमान समय में अपने इतिहास के एक बड़े संकट से जूझ रहा है जिससे निपटने के लिए उसके पास न तो कोई स्पष्ट योजना है और न ही रुपरेखा| सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दल के बीच तय समय सीमा में चुनाव कराने और सत्ता हासिल करने के लिए शुरू हुई कशमकश देखते ही देखते एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर जा पँहुची है कि जहाँ देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थान - विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, एवं सेना - आपसी खींचतान, टकराव और संघर्ष का एक नया अध्याय लिख रहे हैं | इस टकराव और संघर्ष की परिणति किस रूप में होगी इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना इस समय काफी कठिन है | आने वाले कुछ हफ्ते पाकिस्तान में राजनितिक स्थिरता के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होने वाले है|

मशहूर अंग्रेज राजनीतक दार्शनिक थॉमस हॉब्स ने अपने जन्म के समय की अशांति, अस्थिरता एवं भय के वातवरण को मद्देनजर रखते हुए कहा था कि "वह (हॉब्स) और भय जुड़वा हैं|" पाकिस्तान के संदर्भ में भी यह बात कमोबेश सत्य ही है| गौरतलब है कि अगस्त 1947 में पाकिस्तान के जन्म के समय से ही अशांति, अस्थिरता, हिंसा एवं भय का जो दौर शुरू हुआ वह कुछ आमूल-चूल परिवर्तनों के साथ आज भी जारी है| यदि हम पाकिस्तान के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत का यह पड़ोसी देश एक के बाद एक संकटों से निपटने की कोशिश में संघर्षरत रहा है| हालाँकि पिछले लगभग एक वर्ष से जारी राजनीतिक गतिरोध का दौर कई मायनों में अलग है|

पाकिस्तान के इतिहास में यह शायद एक मात्र ऐसा दौर है जब पाकिस्तान एक ओर तो सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक संकटों के पहाड़ से जूझ रहा है, तो वहीँ दूसरी ओर इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थान आपसी टकराव का एक नया अध्याय लिख रहे हैं| सोने पर सुहागा यह कि इनमें से कोई भी संस्थान परिस्थितियों को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है| पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी दल ने देश के सुरक्षा अधिष्ठान (Security Establishment) के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो सत्तारूढ़ गठबंधन सर्वोच्च न्यायालय से दो-दो हाथ करने पर आमादा है जो पाकिस्तान में सत्ता के लिए संघर्ष को एक खतरनाक मोड़ देता प्रतीत हो रहा है|[1]

पाकिस्तानी सेना, जिसे न केवल देश का सबसे ताकतवर संस्थान माना जाता है, बल्कि जो खुद को पाकिस्तान की सीमाओं एवं उसकी विचारधारा की रक्षक कहती है, आंतरिक गतिरोध, विभाजन और अपंगता की शिकार है| देश के दो बड़े राजनीतिक धड़ों के बीच की आपसी खींच-तान वैमनस्यता में बदलती जा रही है| एक ओर है सत्ता पर काबिज "पाकिस्तान लोकतान्त्रिक आन्दोलन" (पी.डी.एम.), जिसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान मुस्लिम लीग-एन (पी.एम.एल.-एन), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पी.पी.पी.), एवं जमीयत-ए-उलेमा-ए-पाकिस्तान-एफ (जे.यू.आई.-एफ) भी शामिल है, जो संविधान के अनुरूप व्यवहार न करने पर अड़ी हुई है, तो दूसरी ओर है विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पी.टी.आई.) जिसका शीर्ष नेतृत्व अपनी लोकप्रियता के नशे में इस कदर धुत है कि देश के सबसे ताकतवर संस्थान पर वैचारिक एवं शाब्दिक हमलों से आगे बढ़कर अपने समर्थकों के माध्यम से वास्तविक एवं जमीनी हमले करने से भी नहीं हिचक रहा है| इन सबके बीच में है

[1] Zahid Hussain, **"Creeping Military Rule?"**, *The Dawn*, 17 May 2023.

न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायलय, जिस पर सत्तारूढ़ गठबंधन पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एवं उनके राजनीतिक दल के पक्ष में एकपक्षीय निर्णय देने का आरोप लगा रहा है|

गौरतलब है कि चाहे राजनीतिक दल हों, सेना हो या न्यायपालिका, इन सभी का पाकिस्तान में एक दागी इतिहास रहा है| सभी राजनीतिक दलों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए समय-समय पर न केवल देश के वास्तविक हितों को नजरअंदाज किया बल्कि देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं के दुरुपयोग से भी न हिचके| सेना, जिस पर देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, ने प्रारंभ से ही राजनीतिक हस्तक्षेप का एक ऐसा खेल रचा कि बहुत से विद्वानों को यहाँ तक कहना पड़ा कि "सभी देशों के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास उसका एक देश है|" पाकिस्तानी विद्वान एवं लेखक शुजा नवाज ने अपनी किताब "क्रॉस्ड स्वार्ड्स: पाकिस्तान, इट्स आर्मी एण्ड वार्स विदिन" में तो यहाँ तक कहा है कि "सेना पाकिस्तान में केवल एक मात्र अच्छी तरह से स्थापित राजनीतिक दल है जो कभी चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन हमेशा सत्ता में होती है|"

जहाँ तक न्यायपालिका का प्रश्न है, यह कौन भूल सकता है कि सर्वोच्च न्यायलय ने "डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी" जैसे सिद्धांतों के माध्यम से सभी सैन्य तख्तापलट को कानूनी सुरक्षा प्रदान की| इसके अतिरिक्त समय-समय पर उन असैनिक राजनीतिक नेतृत्व को, जो सेना की मनमानियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करते थे, दण्डित भी किया| इस कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को पहले सत्ता से बेदखल करना और फिर उन पर आजीवन प्रतिबन्ध लगाना भी शामिल है| संविधान के जिस अनुच्छेद 62 (1) (एफ) के तहत नवाज़ शरीफ को आजीवन प्रतिबंधित किया गया,[2] यदि इसी पैमाने को संसद के अन्य सदस्यों पर लागू कर दिया जाए तो लगभग सभी सदस्यों को आजीवन प्रतिबंधित करना पड़ेगा| वर्तमान समय में संविधान का एक और अनुच्छेद चर्चा में है जिसका प्रयोग विवादों के घेरे में है| संविधान का अनुच्छेद 184 (3) सर्वोच्च न्यायलय, विशेषकर मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देता है कि वह आवाम के हितों से सम्बंधित मसलों का संज्ञान लेते हुए उस पर कार्यवाही शुरू कर दें| गौरतलब है कि जनरल जिया-उल-हक़ के शासनकाल में इस तरह के अनुच्छेदों को संविधान का हिस्सा बनाया गया था जिससे लोकतान्त्रिक व्यवस्था में बाहरी हस्तक्षेप का रास्ता खुला रखा जा सके| न्यायपालिका के कुछ संदेहास्पद एवं आपतिजनक निर्णयों का दूरगामी परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान में लोकतान्त्रिक ढाँचा सुदृढ़ हो ही नहीं पाया|

---

[2] Haseeb Bhatti, **"Disqualification under Article 62 (1)(f) is for life, SC Rules in Historic Verdict"**, *The Dawn*, 13 April 2018.

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के वर्तमान राजनीतिक संकट की शुरुआत अप्रैल 2020 में मानी जा सकती है जब प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार संसद में विपक्ष द्वारा लाए गए "नो कॉन्फिडेंस मोशन" पर हुए मतदान में पराजित हो गयी थी| वर्तमान समय में संविधान की दुहाई देने वाले इमरान खान ने "नो कॉन्फिडेंस मोशन" की प्रक्रिया को रोकने के लिए अपने तरकश के संवैधानिक एवं गैर-संवैधानिक तीरों का यथासंभव प्रयोग किया था| लाख कोशिशों के बावजूद भी जब वह अपनी सरकार न बचा पाए तो तरह-तरह के षडयंत्रकारी सिद्धांतो का हवाला देते हुए पाकिस्तानी सुरक्षा अधिष्ठान को निशाना बनाना शुरू किया| इसके बाद शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप का दौर अभी तक जारी है| जिस भ्रष्टाचार और लूट के इर्द-गिर्द बुने ताने-बाने ने उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में शीर्ष मुकाम पर पहुँचाया था, वह स्वयं भी उससे अछूते नहीं रहे हैं| यहाँ पर तोशाखाना और अल-कादिर ट्रस्ट के मामलों को जानना आवश्यक है| देश के जिम्मेदार पदों पर रहते हुए मिलने वाले उपहारों को तोशाखाना में जमा कराया जाता है तथा इसे देश की संपत्ति माना जाता है क्योंकि यह उपहार व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते नहीं, बल्कि देश के महत्वपूर्ण पद पर काबिज होने के कारण मिलते हैं| प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान को भी बहुत से उपहार विदेशों से प्राप्त हुए थे| उन पर आरोप यह है कि उन्होंने इन उपहारों को तोशाखाना में जमा करने के बजाए, उसकी वास्तविक कीमत के मुकाबले मामूली रकम देकर अपने पास रख लिया और बाद में इनमें से कुछ को अधिक कीमत पर बेंचकर गैरकानूनी तरीके से मुनाफा कमाया|

उदाहरण के तौर पर उन्होंने 5 महँगी घड़ियों, जिनकी कीमत 3.8 मिलियन पाकिस्तानी रुपए थी, को अक्टूबर 2018 में केवल 0.75 मिलियन रुपए के बदले ले लिया| सितम्बर 2018 में उन्होंने एक ग्राफ घड़ी (85 मिलियन), एक जोड़ी कफलिंक (5.6 मिलियन), एक कलम (1.5 मिलियन), और एक अंगूठी (8.75 मिलियन) को मात्र 20 मिलियन देकर ले लिया| इस तरह के उपहारों की एक लम्बी फेहरिस्त है जिसे इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी ने बहुत ही मामूली रकम देकर ले लिया| इस बाबत पाकिस्तानी सरकार ने मार्च 2023 में एक आधिकारिक सूची जारी की जिसमें पाकिस्तान के महत्वपूर्ण पदों पर काबिज रहे व्यक्तियों , जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राजनेता, अधिकारी, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, न्यायपालिका के जज और पत्रकार शामिल हैं, द्वारा 2002 से 2022 के बीच लिए गए उपहारों का लेखा जोखा है|[3] इमरान खान ने खुद ही स्वीकार किया

[3] Syed Irfan Raza, **"Many Exposed as Toshakhana Details Surface"**, *The Dawn*, 13 March 2023.

है कि एक घड़ी, जिसकी वास्तविक कीमत 101 मिलियन थी, को उन्होंने 51 मिलियन में बेंचकर 20 मिलियन सरकारी खजाने में जमा कर दिया था|[4]

इसी क्रम में अल-कादिर ट्रस्ट मामले का संज्ञान लेना भी जरुरी है| इस मामले में इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी, जो अल-कादिर ट्रस्ट के दो मात्र ट्रस्टी हैं, पर आरोप है कि उन्होंने मलिक रियाज़ के अवैध 50 बिलियन पाकिस्तानी रुपए , जिसे ब्रिटेन की "नेशनल क्राइम एजेंसी" ने पकड़ा था, को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वैध करने के एवज में 5 बिलियन रूपये तथा 458 कनाल (57.25 एकड़) जमीन, जिसकी कीमत दस्तावेज पर 530 मिलियन रुपए है, अल-कादिर ट्रस्ट के लिए ले ली|[5] इसके अतिरिक्त पाकिस्तानी गृह मंत्री (इंटीरियर मिनिस्टर) राणा सनाउल्लाह ने यह भी स्पष्ट किया था कि बानीगाला में 240 कनाल (30 एकड़) जमीन इमरान खान की सहयोगी और दोस्त फराह गोगी के नाम पर पंजीकृत की गयी थी|[6]

पाकिस्तान की "नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो", जो देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी स्वायत्त एवं संवैधानिक संस्था है, ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बीबी को इस बाबत कई नोटिस जारी कर उसके समक्ष पेश होकर अपनी बात रखने के लिए बुलाया, लेकिन किसी भी नोटिस का दोनों लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया| इसके बाद 9 मई 2023 को "नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो" ने इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायलय परिसर से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वह इस मामले में जमानत लेने के लिए बायोमेट्रिक की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रहे थे| हालाँकि बाद में उन्हें सर्वोच्च न्यायलय के हस्तक्षेप के कारण इस्लामाबाद उच्च न्यायलय से जमानत मिल गयी, जिसके कारण उच्चतम न्यायालय, विशेषकर मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल, को सत्तारूढ़ गठबंधन ने न केवल पक्षपाती बताया बल्कि उच्चतम न्यायालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया|

इस बीच इमरान खान की गिरफ़्तारी के विरोध में उनके दल के कार्यकर्ताओं ने हिंसक विरोध-प्रदर्शन एवं दंगे करने शुरू कर दिए| जल्द ही देश के विभिन्न हिस्से इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों की जद में आ गए जिसे नियंत्रित करने में सरकारी अमले के पसीने छूट गए| प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा अधिष्ठानों को भी अपना निशाना बनाया जिसमें प्रमुख रूप से पाकिस्तानी सेना का जनरल हेडक्वार्टर, लाहौर

[4] **"Toshakhana Gifts: Ex-PM Imran Khan Earned Rs 36 million from Selling Three Gifted Watches to Local Dealer"**, *Indian Express*, 29 June 2022.
[5] Syed Irfan Raza, **"Imran Likely to Be in NAB Custody for 'four to five days'"**, *The Dawn*, 10 May 2023.
[6] **"Rana Sanaullah Provides Details of Imran's Arrest in Al-Qadir Trust Case"**, *The Dawn*, 9 May 2023.

के कोर कमांडर का निवास स्थान, जो पहले जिन्ना हॉउस था, पाकिस्तानी वायुसेना के बेस मियांवाली, पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आई-एस-आई के फैसलाबाद स्थित दफ्तर शामिल थे[7]| कोर कमांडर, लाहौर के निवास स्थान के भीतर दाखिल हुए प्रदर्शनकारियों ने न केवल तोड़ फोड़ की, बल्कि रेफ्रिजरेटर में रखी खाने की चीजें भी लूट कर ले गए| एक प्रदर्शनकारी तो कोर कमांडर की वर्दी पहनकर बाहर आ गया| पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा मौका तो 1971 में भी नहीं आया था जब पाकिस्तानी सेना की ज्यादतियों के कारण पूर्वी पाकिस्तान ने उससे अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण किया था| इस घटना के गहन विश्लेषण से पता चलता है कि पाकिस्तानी आवाम में एक ऐसा तबका उभर रहा है जिसमें सेना विरोधी मनोभाव काफी प्रभावी है और यही वजह है कि जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अब तक पाक माने जा रहे सैन्य संस्थानों को अपने गुस्से का शिकार बनाया|

यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि पाकिस्तानी आवाम का एक बड़ा तबका इमरान खान को एक मसीहा की तरह देखने लगा है और उसकी हर वाजिब गलती को भी नजरअंदाज करने को तैयार है| यही वजह है कि तोशाखाना और अल-कादिर जैसे संगीन मामलों में लिप्त होने के बावजूद इमरान खान की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है| सुरक्षा अधिष्ठानों की खुले-आम निंदा करने और चुनौती देने के कारण ही सेना-विरोधी मनोभाव रखने वाले लोग इमरान खान के पीछे ठीक वैसे ही खड़े हो रहे हैं, जैसा कि वो कभी नवाज़ शरीफ के पीछे खड़े होते थे| यह पाकिस्तान में सेना की आम लोगों के बीच गिरती छवि को दर्शाता है जिसे सेना हमेशा गंभीरता से लेती है| यही वजह है कि 15 मई को संपन्न हुई कोर कमांडर की बैठक में इस घटना को एक सोची समझी साजिश और रणनीति का हिस्सा बताया गया जिसका उद्देश्य सेना को उकसाना था|[8] इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ "पाकिस्तान आर्मी एक्ट" और "ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट" के तहत सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा| प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की अध्यक्षता में संपन्न हुई पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी| इस समय पूरे देश में गिरफ्तारियों का दौर चल रहा है और आने वाले अगले कुछ दिन पाकिस्तान के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं| पाकिस्तान में सत्ता के लिए जारी यह संघर्ष कौन सा मोड़ लेगा यह अभी भविष्य के गर्भ में है|

[7] Malik Asad and Imran Gabol, **"Crunch Time for PTI as Imran Held; Nationwide Riots Erupt"**, *The Dawn*, 10 May 2023.

[8] **"General Syed Asim Munir, COAS presided over Special Corps Commanders Conference (CCC) held at GHQ"**, Press Release, No PR-59/2023-ISPR, 15 May 2023.

About the Author

Dr. Ashish Shukla is Associate Fellow at the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses is a non-partisan, autonomous body dedicated to objective research and policy relevant studies on all aspects of defence and security. Its mission is to promote national and international security through the generation and dissemination of knowledge on defence and security-related issues.

Disclaimer: Views expressed in Manohar Parrikar IDSA's publications and on its website are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Manohar Parrikar IDSA or the Government of India.

© Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) 2023

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses
1, Development Enclave, Rao Tula Ram Marg
New Delhi 110 010 India
T +91-11-2671 7983 F +91-11-2615 4191
www.idsa.in
Twitter @IDSAIndia
www.facebook.com/ManoharParrikarInstituteforDefenceStudiesAnalyses